न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 337 / 21 (वाद)

GCMS NO: 2021/494

अनवान

1. श्री दल्ला पिता चतरा रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
2. श्री चोखा पिता चतरा रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
3. श्री बालू पिता चतरा रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
4. श्री रामा पिता माना रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
5. श्री लोगर पिता माना रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
6. श्रीमती भमरीबाई पत्नि शंकर रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
7. श्री लक्ष्मण पिता शंकर रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
8. सुश्री गुड्डी पुत्री शंकर रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
9. श्री नानालाल पिता शंकर रावत जरिये नाबालिग वलिलायत माता श्रीमती भमरीबाई पत्नि शंकर जी रावत निवासी देवरी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री अमरा पिता गौतम रावत निवासी आकोला कुण्डिया वेला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री लोगर पिता गौतम रावत निवासी आकोला कुण्डिया वेला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 02.09.2024

1 वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी नम्बर 1605, 1607 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित हैं जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम पर अंकित हैं। वादीगण के पूर्वाधिकारी [illegible] विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1979 को श्री भग्गा पिता उदा जी रावत [illegible] पिता [illegible] जी रावत निवासी आकोला फला कुण्डीवली तहसील वल्लभनगर [illegible] के अधिकार चतरा माना पिता सवा जी रावत निवासी देवरी को आराजी न. 1605 रकबा [illegible] 12 बिस्वा भूमि वि[illegible] रूपया 700 / – के प्रतिफल में विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया एवं दिनांक 30.01.1979 को ही श्री रामा पिता नवला जी रावत निवासी आकोला फला – कुण्डीवेली तहसील वल्लभनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:41:26 IST
Reason: SelfAttested

ने अपनी आराजी 1607 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि को हमारे पूर्वाधिकारी चतरा, माना पिता सवा जी रावत निवासी दवरी को बिल एवज रूपया 1500/– रू प्रतिफल में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर हमारे पूर्वजो एवं उनके मृत्युपरान्त वादीगणों को कब्जा काश्त निरन्तर निराबाध रूप से चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह धमकी दी कि उक्त आराजीयात का कब्जा हटा लो वरना हम जबरन उक्त भूमि पर काबिज हो जायेगे एवं तुमको बेदखल कर देंगे इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश नही कर वादपत्र का किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया तथा अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी डब्लु–1 चोखा पुत्र चतरा, पी डब्लु–2 लोगर पुत्र माना के पेश किये गये तथा दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2051–54 प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 कराई गई। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र जवाब पेश नहीं किया गया हैं। हमने पाया की वादग्रस्त आराजीयात वादी संख्या 1 से 5 व वादी संख्या 6 से 9 के पिता/ पति के नाम दर्ज हैं जो जमावंदी संवत 2051–54 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 से स्पष्ट हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं जिससे प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में दखलअंदाजी करने का कोई हक नहीं बनता हैं। प्रकरण में वादीगण वादग्रस्त भमि के खातेदार है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील वल्लभनगर हाल तहसील कानोड की ज[illegible]दी [illegible]त 2051–54 की आराजी नम्बर 1605, 1607 कुल किता 2 रकबा [illegible]0 विस्[illegible] में भू प्रबंन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर प्रतिवादीगण [illegible]करें तथा स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द रहें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:41:26 IST
Reason: SelfAttested